आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

1. आंगनबाड़ी अपील वाद सं0-79/2012
   लीलावती देवी बनाम राज्य सरकार व अन्य
2. आंगनबाड़ी अपील वाद सं0-86/2012
   ललिता देवी बनाम राज्य सरकार व अन्य
3. आंगनबाड़ी अपील वाद सं0-92/2012
   सरोज देवी बनाम राज्य सरकार व अन्य
4. आंगनबाड़ी अपील वाद सं0-67/2010
   सुनैना देवी बनाम राज्य सरकार व अन्य
5. आंगनबाड़ी अपील वाद सं0-220/2011
   कुमारी क्षमा क्रितिका बनाम राज्य सरकार व अन्य
6. आंगनबाड़ी अपील वाद सं0-292/2012
   संजू देवी बनाम प्रमीला देवी व अन्य
7. आंगनबाड़ी अपील वाद सं0-296/2014
   सबिता देवी बनाम सब्बु आरा व अन्य

आदेश

29.09.2015- प्रस्तुत अपील वाद एवं अन्य उपर वर्णित आंगनबाड़ी अपील वाद इस न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में दिये गये निदेश के क्रम में दायर की गयी है। उपरोक्त आंगनबाड़ी वाद में मुख्यतः जिला पदाधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के नियुक्ति में उत्पन्न विवाद में पारित आदेश की चुनौती दी गयी है।

उल्लेखनीय है कि उक्त वाद की सुनवाई के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन/चयन मुक्ति के मुक्ति के विन्दु पर बिचार करने हेतु सक्षम प्राधिकार नही है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2010 में निर्गत मार्गदर्शिका दिनांक 14.07.2010 प्रभावी थी परन्तु पुनः पत्रांक 2354 दिनांक 17.05.2013 एवं पत्रांक 3226 दिनांक 11.08.15 द्वारा संशोधन के उपरान्त आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के चयन मुक्ति के विन्दु पर विचार करने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त को शक्ति प्रदत्त नही।

इसी क्रम में सरकारी अधिवक्ता द्वारा इसी आशय का मंतव्य अंकित की गई है।

अतः उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन/चयन मुक्ति आदेश के विरूद्ध अपील/रिविजन की सुनवाई इस स्तर पर अनुमान्य नही है ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी वादों को क्षेत्राधिकार से बाहर पाते हुए इस स्तर पर सुनवाई योग्न नही है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में तदनुसार उपरोक्त सभी वादों का निस्तार (Disposed of) किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित
29.9.15
आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

29.9.15
आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।